

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई  
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकाम:- जैतारण  
बईजलास :- श्री मनोज कुमार मीणा, आर0ए0एस0  
:- वादीगण:- 1. बनाम :- प्रतिवादीगण :-

शिवसिंह पुत्र घीसुसिंह फौत के का.मु.

1. भंवरसिंह पुत्र शिवसिंह
  2. समंदरसिंह पुत्र शिवसिंह
  3. हेमसिंह पुत्र शिवसिंह
  4. नरपतसिंह पुत्र शिवसिंह
  5. राजुसिंह पुत्र शिवसिंह
  6. कंचनकंवर पुत्री शिवसिंह
  7. संतोषकंवर पुत्री शिवसिंह
  8. रामजोतकंवर पत्नि शिवसिंह
- सभी जातियान राजपुरोहित  
साकिन घोडावड तहसील  
जैतारण जिला ब्यावर राजस्थान

1. तेजा पुत्र गोकल
  2. बाबु पुत्र गोकल
  3. पांचु पुत्र नैना
  4. जीया पुत्र नैना
  5. नारायण पुत्र पांचु
  6. शंकर पुत्र पांचु
  7. जीतू पुत्र जीया
  8. चंदू पुत्र पांचु
- सभी जातियान कुम्हार साकिन  
घोडावड तहसील जैतारण जिला  
ब्यावर राजस्थान

मु0न0 :रा0वा0स0- 11/2019(107/2003)

राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 रा. का. अधि. 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु .....-..... व हाजरी श्री घनश्यामसिंह, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई महेन्द्र गुरा, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा-188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। इसी कदर वाद-पत्र वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर जमा है।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ...-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 05.01.2026 को जारी किया गया।

मोहर



सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रेक), जैतारण  
जिला-ब्यावर (राज0)

मुद्धई	रुपये	पैसे	मुद्धायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	8.00		स्टाम्प वकालतनामा	1.00	
स्टाम्प वकालतनामा	9.00		स्टाम्प अर्जी	2.00	
स्टाम्प वजह सबूत	3.00		महनताना वकील	0.00	
महनताना वकील	0.00		खर्चा गवाहान	0.00	
खर्चा गवाहान	10.00		फीस कमीश्नर	0.00	
फीस कमीश्नर	0.00		बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00		मुत्फरिक	0.00	
मिजान:-	30.00		मिजान:-	3.00	

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावे।